सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 21 राँची, शनिवार, 22 जनवरी, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

संकल्प

21 जनवरी, 2022

विषय:- **झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन हेतु "परामर्शी सेवा" उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड का "परामर्शी एजेन्सी" मनोनीत करने के संबंध में।**

संख्या - 01/नीति-05-03/2021-121--उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विभाग है। उत्पाद राजस्व का संग्रहण, मदिरा के विनिर्माण, संचयन, थोक एवं खुदरा बिक्री को विनियमित करने के क्रम में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं कर के उद्ग्रहण से होता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद राजस्व संवर्द्धन में मदिरा के

विनिर्माण से बिक्री तक के सभी स्तर पर पर्याप्त निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण हेतु किये गये प्रर्वतन कार्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान कालखण्ड में मदिरा के व्यापार को विनियमित करने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र का भी उपयोग सभी राज्यों में बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभाग द्वारा 2300 करोड़ रूपये का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पाद राजस्व संग्रहण के विभिन्न स्तर, अवयव में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जाने हैं। इसके अतिरिक्त अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु IT Intervention एवं निरोधात्मक कानूनी प्रावधानों में भी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। वर्तमान कालखण्ड में प्रायः सभी राज्यों के द्वारा उक्त पहलूओं के अनुरूप नीतिगत कदम उठाये गये हैं। झारखंड राज्य में भी मदिरा के व्यापार को संचालित/व्यवस्थित करने हेतु IT Intervention बढ़ा है। सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियाँ एवं मदिरा के आयात, निर्यात एवं परिवहन से संबंधित परमिट आॅनलाइन निर्गत किये जाते हैं एवं इनसे संबंधित लेखा-जोखा भी आॅनलाइन संधारित किया जा रहा है। विभाग द्वारा उत्पाद वस्तुओं के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण हेतु होलोग्राम निविदा का संपादन किया गया है, जिसके माध्यम से Track & Trace Technology का उपयोग करते हुए end-to-end monitoring किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त माह जुलाई, 2021 से मदिरा की थोक बिक्री की व्यवस्था परिवर्तित होने के उपरांत खुदरा बिक्री से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गई है।

उक्त सभी सुधारात्मक कदमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शी संस्था का सहयोग लेने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इस कार्य हेतु CSMCL (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम), जो विगत चार वर्षो से छत्तीसगढ़ राज्य के दुकानों एवं उससे संबंधित व्यवस्थाओं के संचालन का कार्य कर रही है, को वित्त विभागीय नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज काॅरपोरेशन लिमिटेड के परामर्शी के रूप में मनोनीत करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.01.2022 की बैठक में लिया गया है।

2. CSMCL द्वारा प्रदाय सेवाओं, एतद हेतु पराशर्मी शुल्क, सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें निम्नवत रहेंगी:-

<u>सेवाओं का दायरा -</u>

i. झारखंड राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से नवीन नीति को अमल में लाये जाने तथा आबकारी अपराधों के रोकथाम के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन सृजित नियमों में आवश्यक संशोधन एवं नवीन नियमों के सृजन से संबंधित सुझाव।

ii. झारखंड राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से नवीन नीति को अमल में लाये जाने तथा आबकारी अपराधों के रोकथाम के उद्देश्य से वर्तमान प्रभावशील झारखंड

राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद विभाग की अधोसंरचना (सेट-अप), जांच चौकी इत्यादि के संबंध में सुझाव।

iii. झारखंड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा के निर्माण, प्रदाय, व्यवस्था तथा राज्य के बाहर से मदिरा आयात से संबंधित प्रदाय व्यवस्था के संबंध में आवश्यक संशोधन तथा सुझाव।

iv. मदिरा के फुटकर दर के निर्धारण से संबंधित सुझाव।

v. राज्य में संचालित बार के संचालन के संबंध में सुझाव।

vi. झारखंड राज्य में फुटकर मदिरा दुकानें संचालित किये जाने के उद्देश्य से आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण तथा स्थापना से संबंधित आवश्यकताओं आदि के संबंध में सुझाव।

vii. झारखंड राज्य में थोक मदिरा के क्रय, भंडारण एवं फुटकर मदिरा दुकानों को मदिरा प्रदाय किये जाने की व्यवस्था के संबंध में सुझाव।

viii. झारखंड राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से देशी एवं विदेशी मदिरा की तेजी का निर्धारण, एवं उससे संबंधित मदिरा को राज्य के मदिरा प्रेमियों को उपलब्ध कराये जाने का सुझाव। झारखंड राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से राज्य में वर्तमान में प्रचलित डयूटी, फीस अधिभार आदि का अध्ययन एवं नवीन डयूटी आदि से संबंधित सुझाव।

ix. मदिरा के निर्माण/बाॅटलिंग, भंडारण, परिवहन, थोक क्रय तथा फुटकर विक्रय से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को ट्रैक एवं ट्रेस आधारित इलेक्ट्रानिक सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम के अधीन लाया जाना जिससे अवैध मदिरा की निकासी कर दुकानों से विक्रय को पूर्णतः समाप्त किया जा सके तथा अवैध मदिरा के विक्रय से हो रहे नुकसान को राजस्व में बदला जा सके। इस हेतु आवश्यक साॅफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित सुझाव, साॅफ्टवेयर के निर्माण के पश्चात उसका परीक्षण तथा अमल में लाए जाने से संबंधित सुझाव।

x. झारखंड राज्य में मदिरा के क्रय की प्रक्रिया, परमिट तथा आबकारी शुल्क के भुगतान मदिरा के परिवहन के आॅनलाइन व्यवस्था का अध्ययन एवं उसमें आवश्यक सुधार से संबंधित सुझाव।

xi. झारखंड राज्य के मदिरा की मांग की आपूर्ति के उद्देश्य से आर०एस०, इ०एन०ए० तथा मदिरा की पेटियों के परिवहन एवं अन्य राज्यों से संबंधित आर०एस०, इ०एन०ए० तथा मदिरा की पेटियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जा रहे वाहनों में होने वाली चोरी से राजस्व क्षय को रोकने से संबंधित साॅफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित सुझाव।

xii. झारखंड राज्य में मदिरा के क्रय की प्रक्रिया, परमिट तथा आबकारी शुल्क के भुगतान मदिरा के परिवहन की आॅनलाइन व्यवस्था को ट्रैक एवं ट्रेस आधारित इलेक्ट्रानिक सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाने का कार्य।

xiii. फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थित रूप से संचालन के उद्देश्य से प्राप्त परामर्श के आलोक में विकसित किये जाने वाले आधारभूत संरचना एवं अन्य व्यवस्था से संबंधित अगर कोई निविदा प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता हो, तो एतद् संबंधी सुझाव।

xiv. रियल टाइम कैश कलेक्शन से संबंधित साॅफ्टवेयर का निर्माण से संबंधित सुझाव।

xv. आॅनलाइन मदिरा के विक्रय एवं होम डिलवरी की व्यवस्था के निर्माण के संबंध में सुझाव।

xvi. मदिरा दुकानों के प्रतिमाह आॅडिट किये जाने के प्रक्रिया का निर्माण से संबंधित सुझाव।

xvii. थोक मदिरा क्रय से संबंधित व्यवस्था का अध्ययन एवं उससे संबधित सुझाव।

xviii. फुटकर मदिरा दुकानों के लिए मदिरा क्रय करने, डयूटी तथा फीस के भुगतान के लिए वर्तमान आई०टी० व्यवस्था का अध्ययन तथा नवीन नीति को ध्यान में रखते हुए नवीन आई०टी० व्यवस्था के निर्माण के संबंध में सुझाव।

xix. मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन की दृष्टि से दुकानों से संबंधित लेखों के प्रारूप को अंतिम किया जाना तथा उससे संबंधित आॅनलाइन एकाउंटिंग सिस्टम के विकास के संबंध में सुझाव ।

xx. झारखंड राज्य के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन के उद्देश्य से राज्य की मदिरा दुकानों को प्रदाय किये जाने वाली मदिरा की मांग का परीक्षण एवं क्रय की अनुमति ।

xxi. इसके अतिरिक्त झारखंड उत्पाद अधिनियम तथा CSMCL की परस्पर सहमति से निर्धारित किये गये विषय पर सुझाव ।

<u>परामर्श सेवा की अवधि -</u>

i. CSMCL से परामर्शी सेवा वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त की जा सकती है ।

ii. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा आवश्यक होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए परामर्शी सेवा अवधि का विस्तार किया जायेगा ।

<u>भुगतान -</u>

i. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित आबकारी नीति के अनुरूप व्यवस्था लागू करने की स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य अधोसंरचना के निर्माण (झारखंड उत्पाद विभाग, झारखंड राज्य बिवरेजेज काॅरपोरेशन लिमिटेड तथा मदिरा के निर्माण एवं परिवहन से संबंधित समस्त संस्थाओं के द्वारा किये गये व्यय कर) के व्यय पर 0.5% (दशमलव पाँच प्रतिशत) की दर से तथा स्थापना व्यय पर 0.25% (दशमलव दो-पाँच प्रतिशत) की दर से परामर्श शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त परामर्शी शुल्क पर लागू होने वाले GST तथा अन्य पृथक से देय होगा ।

ii. परामर्श शुल्क की गणना CSMCL की CA संस्था द्वारा झारखंड राज्य बिवरेजेज काॅरपोरेशन लिमिटेड की CA संस्था से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा। CSMCL को परामर्श शुल्क का भुगतान झारखंड राज्य बिवरेजेज काॅरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के द्वारा किया जायेगा ।

अन्य शर्तें -

i. झारखंड उत्पाद विभाग के उत्पाद राजस्व के संवर्द्धन की दृष्टि से झारखंड उत्पाद विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 1/नीति-05-03/2021-2352 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से परामर्श सेवा प्रदान किये जाने के आग्रह के अनुक्रम में CSMCL के द्वारा उपरोक्त परामर्श सेवा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। चूँकि CSMCL की सेवाएं परामर्श प्रदाता के रूप में ली जा रही है, अतएव किसी भी विषय परिस्थिति हेतु CSMCL को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकेगा ।

ii. CSMCL तथा झारखंड राज्य उत्पाद विभाग के मध्य असहमति की स्थिति में CSMCL परामर्श सेवाओं से स्वयं को पृथक कर सकेगा ।

3. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड तथा CSMCL के बीच सभी आवश्यक शर्त्तों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 21 -- 50